

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही**  
**(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)**

पंचायत निगरानी संख्या: 16/2021

**प्रार्थी**

मोहनलाल पुत्र खेताराम जी, जाति-सुथार, निवासी- पामेरा, तह. रेवदर, जिला-सिरोही  
**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. ग्राम पंचायत, पामेरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, पामेरा, तह. रेवदर, जिला-सिरोही
2. रकमादेवी पत्नि मानारामजी, जाति-कलबी, निवासी-पामेरा, तह.रेवदर, जिला-सिरोही

**“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”**

**उपस्थिति:**

- (1) अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थी की ओर से
- (2) अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे, अप्रार्थी संख्या-2 (रकमा देवी) की ओर से
- (3) अधिवक्ता श्री हिमांशु सिंह, अप्रार्थी ग्राम पंचायत, पामेरा की ओर से

-: निर्णय :-

**दिनांक 14 मई, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी रकमादेवी पत्नि मानाराम जी, जाति- कलबी, निवासी- पामेरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 58 दिनांक 06.9.2019 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 (रकमा देवी) की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या-1 (रकमादेवी) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री हिमांशु सिंह उपस्थित एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पामेरा में प्रार्थी के पुश्तैनी मालकी तथा कब्जे का आवासीय मकान व भूखण्ड आया हुआ है, जिसके चारों ओर बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य आज से करीब 21 वर्ष पूर्व किया हुआ है। प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे शुदा आवासीय मकान व भूखण्ड का नाप व चतुर्दशी उत्तर में मोहनलाल पुत्र दीपाजी रावल का भूखण्ड, दक्षिण में बाबुलाल पुत्र भुराजी रावल का भूखण्ड, पूर्व में आम रास्ता 15.5 फीट का व पश्चिम दिशा में बरसाती नाडी है तथा नाप उत्तर 90 फीट, दक्षिण 77 फीट, पूर्व 81 फीट व पश्चिम 65 फीट है। उक्त नाप व चतुर्दशी की सम्पत्ति के उत्तर पूर्व दिशा की ओर स्थित आवासीय मकान का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के पिता के नाम से वर्ष 2002 में जारी किया गया है, शेष भूखण्ड व आवासीय मकान का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत पामेरा में दिनांक 20.02.2020 को आवेदन किया था, जो लम्बित है, जिसका पट्टा अभी तक ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे मालकी की सम्पत्ति का पट्टा बनाने हेतु आवेदन करने के बाद यह निगरानी आवेदन पेश करने के करीब एक माह पूर्व ग्राम पंचायत ने प्रार्थी को अवगत करवाया गया कि प्रार्थी के कब्जे मालकी की उक्त सम्पत्ति में से 30 फीट बाय 90 फीट कुल 2700 वर्गफीट का पट्टा  
.....पेज दो पर

  
अति. जिला कलेक्टर  
सिरोही (राज.)



ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 (रकमादेवी) के हक में नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत जारी कर दिया गया है जबकि उक्त भूमि पर कभी भी अप्रार्थी रकमादेवी का कब्जा नहीं रहा है तथा न ही उसका कोई आवासीय मकान उक्त भूमि पर बना हुआ है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने निर्मित मकान का ही पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जा सकता है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह प्रार्थी के कब्जे मालकी का भूखण्ड है तथा भूखण्ड के चारों ओर परकोटा, प्रार्थी के पिता द्वारा निर्मित किया गया है। उक्त पट्टा की भूमि में कोई आवासीय मकान बना हुआ नहीं है, जिसकी पुष्टि सहायक विकास अकिारी, पंचायत समिति, रेवदर की जांच रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 29.01.2021 से होती है। अप्रार्थी रकमादेवी का आवासीय मकान ग्राम पामेरा की पुरानी आबादी में अन्यत्र स्थान पर स्थित है। अप्रार्थी रकमादेवी को अनुचित फायदा पहुँचाने तथा प्रार्थी को उसके कब्जे मालकी की भूमि से वंचित करने के आशय से उक्त पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि पट्टा की भूमि पर न तो आवासीय मकान है तथा न ही कभी भी अप्रार्थी रकमादेवी कब्जा रहा है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत केवल मात्र निर्मित पुराने आवासीय मकानों का विनियमितीकरण किए जाने का प्रावधान है, खुली भूमि को विक्रय करने का प्रावधान नहीं है, जिससे पट्टा विधि विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। यह कि प्रश्नगत पट्टा जारी करने हेतु कोई आवेदन अप्रार्थी रकमादेवी द्वारा ग्राम पंचायत, पामेरा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं मौका निरीक्षण, आपत्ति नोटिस, पंचगण की राय प्राप्त नहीं की गई। ग्राम पंचायत, पामेरा ने प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व, विधि के आज्ञापक प्रावधानों की कोई पालना ही नहीं की है एवं प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व कोई मिसल तैयार नहीं की गई है तथा ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा कोई प्रस्ताव भी नहीं लिया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी रकमादेवी पत्नि मानाजी, जाति- कलबी, निवासी- पामेरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 58 दिनांक 06.9.2019 को निरस्त किया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 (ग्राम पंचायत, पामेरा) के अधिवक्ता ने ग्राम पंचायत, पामेरा के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि मौका रिपोर्ट दिनांक 29.01.2021 के अनुसार मौके पर प्रार्थी मोहनलाल व उसके भाई देवाराम पुत्र खेतारामजी सुथार का कब्जा पाया गया है तथा भूखण्ड के चारों ओर प्रार्थी मोहनलाल व उसके भाई के स्वामित्व का परकोटा बना हुआ पाया गया। मौके पर कोई मकान निर्मित नहीं है। प्रार्थी मोहनलाल व उसके भाई देवाराम के कब्जे के उक्त भूखण्ड के उत्तर में खेताराम पुत्र लखाजी सुथार की पट्टा शुदा भूमि है, जिसका पट्टा वर्ष 2002 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है, उक्त पट्टे के दक्षिण दिशा में देवाराम सुथार का कब्जा बताया गया है। मौका जांच के अनुसार उक्त भूखण्ड प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे भोगवटा का होना पाया गया है। अप्रार्थी संख्या-2 (रकमादेवी) का उक्त भूखण्ड पर कोई कब्जा नहीं पाया गया है। प्रार्थी मोहनलाल द्वारा ग्राम पंचायत, पामेरा में दिनांक 20.2.2020 को आवेदन किया था, जो विचाराधीन है, जिसका पट्टा अभी ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा जारी नहीं किया गया है। प्रार्थी के आवेदन पर जांच करने पर पाया गया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा 30 फीट बाय 90 फीट कुल 2700 वर्गफीट का पट्टा अप्रार्थी रकमादेवी के हक में नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत जारी कर दिया गया है, जबकि अप्रार्थी रकमादेवी का मौके पर कोई मकान बना हुआ नहीं है तथा न ही अप्रार्थी रकमादेवी का मौके पर कोई कब्जा है। जबकि बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 (रकमादेवी) के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि प्रार्थी के पुश्तैनी मालिकी व कब्जे की भूमि नहीं है एवं न ही बाउण्ड्री वॉल प्रार्थी

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)



ने बनाई है बल्कि मौके पर बाउण्ड्री वॉल अप्रार्थी रकमादेवी द्वारा बनवाई गई है। उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम में 90, 77, 81 व 65 फीट का भूखण्ड का प्रार्थी के पिता के नाम से पट्टा बना हुआ नहीं है और न ही इस नाप की भूमि का प्रार्थी मोहनलाल या उसके भाईयों को पट्टा जारी हो सकता है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके पर अप्रार्थी रकमादेवी काबिज होकर उपयोग व उपभोग करती आ रही है। प्रार्थी ने दिनांक 20.2.2020 को ग्राम पंचायत, पामेरा में पट्टा प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन नहीं किया और न ही ऐसा कोई आवेदन ग्राम पंचायत में लम्बित है। ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा मौके की जांच करके व मौके पर अप्रार्थी रकमादेवी का पुराना कब्जा होकर आवासीय झोपडा बना हुआ होने से पुराने कब्जे भोगवटे के आधार पर भूमि का नियमन कर पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी रकमादेवी के पक्ष में ग्राम पंचायत, पामेरा ने पट्टा जारी करने के संबंध में विधि में प्रदत्त प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर में उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में पट्टा जारी किया गया है, जिसकी मिसल संख्या 25/2019 है। उसके बाद अप्रार्थी रकमादेवी ने निर्माण स्वीकृति हेतु दिनांक 23.10.2019 को रुपये 1120/- जमा करवाये, जिस पर ग्राम पंचायत, पामेरा ने दिनांक 23.10.2019 को निर्माण कार्य स्वीकृति/एन.ओ.सी. प्रदान की गई, जिस पर अप्रार्थी रकमादेवी ने बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किया है जिसके फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये हैं। वर्ष 2020 में कोविड संक्रमण के बाद से काम बंद कर दिया था। यह कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके पर अप्रार्थी रकमा देवी का झोपडा बना हुआ था, जिसे नया निर्माण करने के समय हटा दिया था, लेकिन जो बाउण्ड्री वॉल निर्माण की थी वह आज भी मौजूद है, पुरे देश में कोविड संक्रमण के कारण काम बन्द कर दिया था, इसलिए अब प्रार्थी का यह कथन गलत है कि मौके पर झोपडानुमा निवास नहीं था। यह कि पट्टा जारी करते समय मौके पर भूमि खुली भूमि नहीं होकर अप्रार्थी रकमा देवी का झोपडा बना हुआ था एवं पुराना कब्जा भोगवटा चला आ रहा था। मौके पर भूखण्ड खाली नहीं था। मौके पर प्रारम्भ से ही अप्रार्थी रकमादेवी का पुराना कब्जा रहा है जहां झोपडेनुमा पुराना आवासीय मकान स्थित था। यह है कि अप्रार्थी रकमादेवी द्वारा ग्राम पंचायत, पामेरा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी जांच ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा की गई है। ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी रकमादेवी के आवेदन पर विधिवत मिसल दायर करके वार्ड पंचों से मौका निरीक्षण करवाकर एवं आपत्ति नोटिस जारी करने के बाद कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर पंचायत बैठक में प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थी रकमादेवी को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया एवं उसके बाद ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर में अप्रार्थी रकमादेवी पत्नि मानाराम जी, जाति- कलबी, निवासी- पामेरा के पक्ष में पट्टा संख्या 58 दिनांक 06.9.2019 को पट्टा जारी किया गया है, जो विधि अनुसार जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी रकमादेवी पत्नि श्री मानाराम, जाति- कलबी, निवासी- पामेरा के पक्ष में क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 58 दिनांक 06.9.2019 को जारी किया गया है। "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23-क में पंचायत

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)



द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा:-

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल-

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 100/- रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 200/- रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप-खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप-खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान" के स्थान पर अभिव्यक्ति 31.12.2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान" प्रतिस्थापित की गई है।"

इस संबंध में प्रार्थी का कथन यह है कि "ग्राम पामेरा में प्रार्थी के पुश्तैनी मालकी तथा कब्जे का आवासीय मकान व भूखण्ड आया हुआ है, जिसके चारों ओर बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य आज से करीब 21 वर्ष पूर्व किया हुआ है। प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे शुदा आवासीय मकान व भूखण्ड का नाप व चतुर्दशी उत्तर में मोहनलाल पुत्र दीपाजी रावल का भूखण्ड, दक्षिण में बाबुलाल पुत्र भुराजी रावल का भूखण्ड, पूर्व में आम रास्ता 15.5 फीट का व पश्चिम दिशा में बरसाती नाडी है तथा नाप उत्तर 90 फीट, दक्षिण 77 फीट, पूर्व 81 फीट व पश्चिम 65 फीट है। उक्त नाप व चतुर्दशी की सम्पत्ति के उत्तर पूर्व दिशा की ओर स्थित आवासीय मकान का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के पिता के नाम से वर्ष 2002 में जारी किया गया है।" प्रार्थी का यह भी कथन है कि "प्रार्थी के कब्जे मालकी की उक्त सम्पत्ति में से 30 फीट बाय 90 फीट कुल 2700 वर्गफीट का पट्टा ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 (रकमादेवी) के हक में नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत जारी कर दिया गया है जबकि उक्त भूमि पर कभी भी अप्रार्थी रकमादेवी का कब्जा नहीं रहा है तथा न ही उसका कोई आवासीय मकान उक्त भूमि पर बना हुआ है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने निर्मित मकान का ही पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जा सकता है।" जबकि अप्रार्थी संख्या-2 (रकमादेवी) का कथन यह है कि "प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि प्रार्थी के पुश्तैनी मालिकी व कब्जे की भूमि नहीं है एवं न ही बाउण्ड्री वाल प्रार्थी ने बनाई है बल्कि मौके पर बाउण्ड्री वाल अप्रार्थी रकमादेवी द्वारा बनवाई गई है। उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम में 90, 77, 81 व 65 फीट का भूखण्ड का प्रार्थी के पिता के नाम से पट्टा बना हुआ नहीं है और न ही इस नाप की भूमि का प्रार्थी मोहनलाल या उसके भाईयों को पट्टा जारी हो सकता है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके पर अप्रार्थी रकमादेवी काबिज होकर उपयोग व उपभोग करती आ रही है।" अप्रार्थी संख्या-2 (रकमादेवी) का यह भी कथन है कि "ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा मौके की जांच करके व मौके पर अप्रार्थी रकमादेवी का पुराना कब्जा होकर आवासीय झौपडा बना हुआ होने से पुराने कब्जे भोगवटे के

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)



आधार पर भूमि का नियमन कर पट्टा जारी किया गया है। उसके बाद अप्रार्थी रकमादेवी ने निर्माण स्वीकृति हेतु दिनांक 23.10.2019 को रुपये 1120/- जमा करवाये, जिस पर ग्राम पंचायत, पामेरा ने दिनांक 23.10.2019 को निर्माण कार्य स्वीकृति/एन.ओ.सी. प्रदान की गई, जिस पर अप्रार्थी रकमादेवी ने बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किया है।”

प्रकरण में अप्रार्थी रकमादेवी की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफ्स के अवलोकन से यह पाया गया कि मौके पर नीव लेवल से उपर तक चार दिवारी का निर्माण किया हुआ है एवं अन्दर भूखण्ड खाली पड़ा है जिसमें अग्रेंजी बबूल आदि खड़े दिखाई दे रहे हैं। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में श्री भरतसिंह वाघेला, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 24.6.2021 (जो प्रभारी अधिकारी, पंचायत, जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही के पत्र क्रमांक:पंचायत/21/388 दिनांक 17.2.2021 के सन्दर्भ में प्रेषित किया गया है) की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। श्री भरतसिंह वाघेला, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर के उक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 24.6.2021 में निष्कर्ष में यह अंकित किया हुआ है कि श्रीमती रकमा देवी पत्नि मानाराम कलबी, निवासी-पामेरा को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) में पुराने गृह का विनियमितकरण के अर्न्तगत पट्टा जारी किया गया है। जबकि प्रार्थीया का मौके पर कोई मकान/गृह नहीं है। इस प्रकार, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर के उक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 24.6.2021 से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी रकमा देवी पत्नि श्री मानाराम कलबी, निवासी-पामेरा के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उस भूमि के मौके पर अप्रार्थी रकमा देवी का कोई मकान/गृह नहीं है। ऐसी स्थिति में, हस्तगत निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत, पामेरा को विवादित भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी रकमादेवी पत्नि मानाराम जी कलबी, निवासी-पामेरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 58 दिनांक 06.9.2019 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, पामेरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करे एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14 मई, 2024 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. विनेश राय सापेला)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सिरोही